न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—07 / 2017 (2017 / 00053) वाद पत्र

अनवान

1—भगवानलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—सुन्दरलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—भंवरलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1—दुर्गाप्रसाद पिता बिहारीलाल भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1 / 1—भारत पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 2—सुभाष पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 3—लाली पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 4—भंवरी पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 5—मन्जु पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1 / 6—कून्दन पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — वादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—28 / 12 / 2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बिहारीलाल पिता हजारीमल भोजक निवासी रायपुर के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 1566 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भुमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 20 वर्णित थी। कालान्तर में बिहारीलाल की मृत्यु होने के पश्चात् उक्त आराजियात का विभाजन हुआ जिसमें उक्त आराजियात प्रतिवादी दुर्गाप्रसाद के नाम दर्ज हुई प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 एवं 2050 से 2053 वादपत्र के साथ पेश की है। साबिक आराजी संख्या 1566 में से वादीगण के पिता माना पिता बैणा कुमावत रायपुर ने जरिये बिकाव के 1 बिस्वा भूमि जिसके पड़ौस विक्रय पत्र में अकिंत है क्रय कर कब्जा प्राप्त किया वक्त विक्रय पत्र से ही उक्त खरीदशुदा 1 बिस्वा भूमि के रकबे पर वादी के पिता काबिज थे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे थे तथा इस 1 [illegible] अपने निवास के लिये रिहायशी मकान बना रखा है जिसके चारो तरफ पक्की [illegible] हुई है इस 1 बिस्वा भूमि के साथ साथ वादीगण के पिता ने 3 बिस्वा [illegible] की थी [illegible] नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के निर्णय दिनांक [illegible] के नाम [illegible] बिस्वा भूमि का नामान्तकरण खोला गया जो वर्तमान में वादीगण के [illegible] राजस्व रेकार्ड में [illegible] गई लेकिन 1 बिस्वा भूमि विक्रयपत्र दिनांक 31.08.1965 वाली वादीगण के नाम दर्ज नही हुई जिससे वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया है। रायपुर का नवीन भू प्रबन्ध होने से साबिक आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:28 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1566 के नवीन नम्बर 1128 रकबा 18 बिस्वा भूमि कायम हुए। उक्त नवीन आराजियात के नवीन नम्बर 4190/1128 दर्ज हुए जिसमे से 3 बिस्वा भूमि निर्णय दिनांक 18.04.2001 से वादीगण के नाम दर्ज हो गई शेष रकबे के नवीन नम्बर 4191/1128 रकबा 0.15 है0 कायम रहे प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 4191/1128 रकबा 0.15 है0 मे से 0.01 है0 के वादीगण खातेदार काश्तकार है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार के अंकन कराया जाने की डिक्री फरमाई जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 18/01/2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी रायपुर में निवास नही कर भीलवाड़ा निवास करने से नोटिस तामिल नही होने दिनांक 31.10.2021 को दैनिक नवज्योति राज्य स्तर के अखबार में साया कराया गया जिसकी पालना में भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 फॉरमल पक्षकार है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 31.08.1965, साबिक जमाबन्दिया, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षैत्रफल, प्रस्तुत कर प्रदर्श कराया गया जो 1 से 5 है। प्रार्थीगणो के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली किये गये एवं प्रार्थी भंवरलाल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड का अवलोकन किया वादीगण के पिता द्वारा मूल खातेदार बिहारीलाल पिता हजारीमल जी से क्रय की गई है जिसका विक्रय पत्र दिनांक 31.08.1965 का लिखा गया है जो 100 रूपये से कम का होने से रजिस्टर्ड नही है मौके पर कब्जा केता का होना प्रमाणित कराया। राजस्व रेकार्ड में भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगणो को जरिये समन तलब करने से भी उपस्थित नही हुए जिससे भी यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादीगणो को कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 4191/1128 रकबा 0.15 है0 भूमि में से 0.01 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/12/2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:28 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–07/2017 (2017/00053) वाद पत्र

अनवान

1–भगवानलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–सुन्दरलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–भंवरलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1–दुर्गाप्रसाद पिता बिहारीलाल भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–भारत पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/2–सुभाष पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/3–लाली पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/4–भंवरी पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/5–मन्जु पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/6–कून्दन पिता दुर्गाप्रसाद भोजक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 4191/1128 रकबा 0.15 है0 भूमि में से 0.01 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 28.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

28.12.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:28 IST
Reason: SelfAttested